

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23092025-266316
SG-DL-E-23092025-266316असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 243
No. 282]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947	[N. C. T. D. No. 243

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सं. 13/2025-राज्य कर (दर)

फा. सं. 3(25)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/928.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा दिनांक 02.09.2019 की फा0सं0 3(12)/वित्त(राज0-I)/2019-20/डीएस-VV/381 के द्वारा, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 21/2018-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	2.5 %
2.	420222, 420229, 42023110, 42023190, 420232, 420239	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वेलरी बॉक्स	2.5 %
3.	4416, 4421 9990	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	2.5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	2.5 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वेलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	2.5 %
6.	45039090 450490	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
7.	4601 तथा 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लैटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामवान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	2.5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	2.5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	2.5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	2.5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	2.5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	2.5 %

14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	2.5 %
15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	2.5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	2.5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	2.5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	2.5 %
19.	68159990	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	2.5 %
20.	69120010 69120020	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	2.5%
21.	69139000	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	2.5 %
22.	70099200	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	2.5 %
23.	701810	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	2.5 %
24.	7018910	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	2.5 %
25.	70200090	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, बोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	2.5 %
26.	71131110	चांदी के महीन काम	1.5 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती है)	1.5 %
28.	73269099	लोहे की कलाकृतियां	2.5 %
29.	741980	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	2.5 %
30.	76169990	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	2.5 %
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और वैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसी ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	2.5 %
32.	940510	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	2.5 %
33.	940150, 940380	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	2.5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	2.5 %

35.	9504	गंजिफा कार्ड	2.5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	2.5 %
37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	2.5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	2.5 %

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 को लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मंगेज सिंह, उप-सचिव

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2025

No. 13/2025-State Tax (Rate)

F. No. 3(25)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/928.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 21/2018-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number No. F.3 (12)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VV 381, dated 02-09-2019, namely:-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No .	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	2.5%
2.	420222, 420229, 42023110, 42023190, 420232, 420239	Handbags including pouches and purses ;jewellery box	2.5%
3.	4416, 4421 9990	Carvedwoodproducts,artware/decorativearticlesofwood(includinginlaywork, casks, barrel, vats)	2.5%
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	2.5%
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	2.5%

6.	45039090 450490	Artware of cork(including articles of sholapith)	2.5%
7.	4601and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah [including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/ chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5 %
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	2.5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	2.5%
10.	5607, 5609	Coir articles	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	2.5%
12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floorcoverings(including namda/gabba)	2.5%
13.	5804 30 00	Handmade lace	2.5%
14.	5805	Hand-woven tapestries	2.5%
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5%
16.	5810	Hand embroidered articles	2.5%
17.	6117,6214	Handmade/hand embroidered shawls	2.5%
18.	6802	Carvedstoneproducts(e.g.,statues,statuettes,figuresofanimals,writingsets ,ashtray, candle stand)	2.5%
19.	68159990	Stoneart ware, stone inlay work	2.5%
20.	69120010 69120020	Tableware and kitchen ware of clay and terracotta, other clay articles	2.5%
21.	69139000	Statuettes & other ornamental ceramic articles(incl. blue potteries)	2.5%
22.	70099200	Ornamental framed mirrors	2.5%
23.	701810	Bangles, beads and small ware	2.5 %
24.	70189010	Glass statues[other than those of crystal]	2.5%
25.	70200090	Glassartware[incl.pots,jars,votive,cask,cakecover,tulipbottle,vase]	2.5%
26.	71131110	Silver filigree work	1.5%
27.	7117	Handmadeimitationjewellery(includingnaturalseeds,beadsjewellery,card amom garland)	1.5%
28.	73269099	Artware of iron	2.5%
29.	741980	Artwareofbrass,copper/copperalloys,electroplatedwithnickel/silver	2.5%
30.	76169990	Aluminium art ware	2.5%
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of basemetal;photograph,pictureorsimilarframes,ofbasemetal;mirrorsofbas emetal; (includingBidriware,Panchlogaartware,idol,Swamimalaibronzeicons,dh okrajaali)	2.5%
32.	940510	Hand crafted lamps(including Panchloga lamp)	2.5%
33.	940150, 940380	Furniture of bamboo, rattan,and cane	2.5%
34.	9503	Dollsoorthertoysmadeofwoodormetalortextilematerial(includingwooden toysof Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	2.5%
35.	9504	Ganjifa card	2.5%
36.	9601	Workedarticlesofivory,bone,tortoisesshell,horn,antlers,coral,motherofpearl, seashell, and other animal carving material	2.5%

37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stear in, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	2.5%
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	2.5%
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	2.5%

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy